न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

11

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 38/2021

कालूराम सैनी पुत्र श्री नाथूराम, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 23, कुआ बगीची, कस्बा उदयपुरवाटी।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 15.03.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.03.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 38/2021 पर दिनांक 01.03.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/861–862 दिनांक 01.03.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पीए/2021/317 दिनांक 12.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री कालूराम सैनी पुत्र श्री नाथूराम, जाति माली निवासी वार्ड नं0 23, उदयपुरवाटी के द्वारा इस कार्यालय मे आर0टी0आई0 का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया था। कालूराम द्वारा दिनांक 22.01.2021 को इस कार्यालय मे शिकायत पेश का नगर पालिका उदयपुरवाटी से शिकायत मे वर्णित नकल दिलवाने का निवेदन किया था जिस पर इस कार्यालय के पत्रांक पीए/2021/111–12 दिनांक 27.01.2021 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उदयपुरवाटी को शिकायत मे वर्णित नकल नियमानुसार देने के निर्देश दिये गये थे। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पीए/2021/317 दिनांक 12.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री कालूराम सैनी पुत्र श्री नाथूराम, जाति माली निवासी वार्ड नं0 23, उदयपुरवाटी के द्वारा उनके कार्यालय मे आर0टी0आई0 का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया था। कालूराम द्वारा दिनांक 22.01.2021 को उनके कार्यालय मे शिकायत पेश का नगर पालिका उदयपुरवाटी से शिकायत मे वर्णित नकल दिलवाने का निवेदन किया था जिस पर उनके कार्यालय के पत्रांक पीए/2021/111–12 दिनांक 27.01.2021 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उदयपुरवाटी को शिकायत मे वर्णित नकल नियमानुसार देने के निर्देश दिये गये थे। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है साथ ही निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने के लिए आवेदन करने पर नियमानुसार निर्धारित अवधि मे सूचना उपलब्ध करावें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/03/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं